

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

ई-निविदा सूचना

निर्माणकार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर कार्यों हेतु द्वि-निविदा पद्धति तथा एकल निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्यूल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि बेवसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	29.07.2026 3.00 PM	19.08.2026 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	19.08.2026 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	19.08.2026 3:00 PM	

नोट -

- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी एवं वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा। (क्रम सं० 01 से 14 हेतु)
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 965 / जनकार्य वि० / न० नि० / 2026-27

दिनांक :- 17/07/2026

प्रतिलिपि :-

- विज्ञापन व्यवस्थापक आर. उजाजा | स्वदेश दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
- सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
- पी०ए०, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
- आई०टी०एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

ई-निविदा सूचना

निर्माणकार्यों हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर कार्यों हेतु द्वि-निविदा पद्धति तथा एकल निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेंडर शैड्यूल के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि बेवसाइट <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदनेकी तिथि	29.07.2026 3.00 PM	19.08.2026 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	19.08.2026 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	19.08.2026 3:00 PM	

कार्य का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि	ठेकेदार का श्रेणी
1.	वार्ड न० 01 में लाल कुर्ती शमशान घाट के सामने विनोद कुमार रजक से लोकेन्द्र सोनी होते हुए मनोज कुमार तक रामकिशन प्रजापति से पिकी रायकवार तक खेमचंद प्रजापति के सामने वाली गली पुलिया नाली एवं एपैक्स निर्माण कार्य।	3896739.00	3900.00+18.00 % GST	389700.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
2.	वार्ड न० 03 सियारामशरण से अवधेश वर्मा तक, चंदन से मुकुल जोशी तक, बालकिशुन यादव वाली गली, सूरज यादव वाली गली, विशाल परिहार से सदर वाले तक, धर्मेन्द्र कुमार से रामकुमार तक, रामशंकर विश्वकर्मा से कमलेश कुशवाहा तक, नरेन्द्र वाली गली पुलिया, नाली एवं एपैक्स निर्माण कार्य।	4161020.00	4165.00+18.00 % GST	408100.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
3.	वार्ड न० 05 में मैथिली से हंसराज वर्मा व विजय राम होते हुए कुंती के मकान तक अमित के मकान से इरफान के मकान तक पुलिया नाली एवं एपैक्स निर्माण कार्य।	4197993.00	4200.00+18.00 % GST	409900.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
4.	वार्ड न० 07 में के०वी० यादव से जफरीन पैलेस के आगे तक पुलिया, नाली एवं एपैक्स निर्माण का कार्य।	4396996.00	4400.00+18.00 % GST	419900.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
5.	वार्ड न० 15 में अनुराग कुमार से धर्मेन्द्र के मकान तक अनिल से राजेंद्र होते हुए मैन रोड तक घनश्याम से महेश तक राकेश से राजेंद्र तक अनिल से एल एन टेंट हाउस होते हुए राजू तक गीता शर्मा से कपिल देव तक नाली पुलिया एवं एपैक्ससड़क निर्माण कार्य।	4364966.00	4365.00+18.00 % GST	418300.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
6.	वार्ड न० 15 गाड़ियागाँव स्थित गोशाला में मियावाकी पद्धति से वन बनाने का कार्य।	4919543.00	4920.00+18.00 % GST	446000.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
7.	वार्ड न० 21 सिमरखा के अन्तर्गत पाल कॉलोनी में रेलवे क्रासिंग से डॉ नरेंद्र सेंगर के मकान तक अप्रोच सड़क का हॉटमिक्स प्लांट द्वारा निर्माण कार्य।	4670605.00	4675.00+18.00 % GST	433600.00	छ: माह	ऐ श्रेणी (एच.एम.पी.)
8.	वार्ड न० 22 बिजौली ताल के डामर रोड से रविन्द्र साहू होते हुए शीला देवी के मकान तक पुलिया नाली एवं एपैक्स निर्माण का कार्य।	6070334.00	6070.00+18.00 % GST	503600.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
9.	वार्ड न० 23 लहर गिर्द के अन्तर्गत अक्षय के मकान से मेन रोड शिवपुरी हाइवे तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	3941280.00	3945.00+18.00 % GST	394200.00	पांच माह	ऐ श्रेणी
10.	वार्ड न० 24 परदेशी मोहल्ला में कब्रिस्तान से म के गार्डन होते हुए नरसिंह तिवारी एवं जान मोहम्मद से शोएब खान होते हुए राजू खान के माकन तक शहीद खान से शाकिब होते हुए गब्बर भाई के माकन तक नरसिंह तिवारी से ज्योति सोनी होते हुए हैदर अली तक पुलिया नाली एवं एपैक्स निर्माण कार्य।	4601728.00	4605.00+18.00 % GST	430100.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
11.	वार्ड न० 31 लहरगिर्द द्वितीय में आराजी संख्या 330 रिक्त भूमि में मियावाकी वन एवं पार्क निर्माण कार्य।	4408696.00	4410.00+18.00 % GST	420500.00	छ: माह	ऐ श्रेणी
12.	वार्ड न० 41 नन्दन पुरा आवास विकास के अन्तर्गत सैयद नगर में निशा आर ओ से पन्ना लाल के मकान व से जीशान के मकान होते हुए शंकर के मकान तक एव वसीम खान के मकान तक सड़क एव नाली निर्माण कार्य।	5035591.00	5040.00+18.00 % GST	451800.00	छ: माह	ऐ श्रेणी

13.	वार्ड नं० 50 के अन्तर्गत गोकुल धाम कालोनी में एस0आर0 इन्टीरियर से दिव्यांश टेन्ट होते हुए गुलशन साहू के मकान तक एवं प्रिंस राय के मकान से आशाराम कुशवाहा के मकान तक एवं गुलशन साहू के मकान से मिथुन श्रीवास तक एवं जगदीश श्रीवास के मकान से ओमप्रकाश के मकान के पास तक नाली पुलिया एवं एपैक्स का निर्माण कार्य।	6340074.00	6340.00+18.00 % GST	517100.00	छः माह	ऐ श्रेणी
14.	हवाना रेस्टोरेंट से मस्जिद (रिसाला चुंगी के पास) तक स्थित हरित पट्टी में खाली स्थल पर म्यूरल की स्थापना का कार्य। (अवस्थापना निधि के अन्तर्गत)	6382730.00	6385.00+18.00 % GST	519200.00	पांच माह	ऐ श्रेणी
15.	वार्ड नं० 09 में चरण सिंह से घनाराम कुशवाहा तक, विकाश साहू से खेमचन्द्र तक पुलिया,नाली एवं एपैक्स सड़क निर्माण कार्य।	2505699.00	2510.00+18.00 % GST	250600.00	चार माह	ऐ श्रेणी
16.	वार्ड नं० 09 में तुलई नगर दिलीप तिवारी से अभिलाष कुमार तक उपेंद्र सिंह से राघव पांचाल तक पुलिया नाली एवं एपैक्सनिर्माण कार्य।	1449946.00	1450.00+18.00 % GST	145000.00	तीन माह	बी श्रेणी
17.	वार्ड नं० 13 के अंतर्गत आर०पी० निरंजन के मकान से जितेन्द्र राय के मकान तक नाली पुलिया एवं एपैक्स सड़क निर्माण कार्य।	3249886.00	3250.00+18.00 % GST	325000.00	चार माह	ऐ श्रेणी
18.	वार्ड नं० 13 के अन्तर्गत अरविन्द रजक के मकान से राजेन्द्र अहिरवार के मकान तक नाली पुलिया एवं सड़क निर्माण कार्य।	3068513.00	3070.00+18.00 % GST	306900.00	चार माह	ऐ श्रेणी
19.	वार्ड नं० 21 सिमरधा के अंतर्गत पाल कॉलोनी में प्रेम सिंह कुशवाहा के मकान से शिवानी रायकवार के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	1999922.00	2000.00+18.00 % GST	200000.00	तीन माह	बी श्रेणी
20.	वार्ड नं० 22 बिजौली स्थित कान्हा वन विहार बल्लमपुर गौशाला में मियावाकी पद्धति से वन बनाने का कार्य।	693073.00	695.00+18.00% GST	69400.00	दो माह	सी श्रेणी
21.	वार्ड नं० 29 सुशील कुमार से हरिकिशन दुवे होते हुए विनोद पाल के मकान तक चन्द्रकाप्रसाद बाबूजी के मकान से सिक्कन अहिरवार तक अग्रवाल वाली गली पुलिया नाली एवं एपैक्स निर्माण कार्य।	1990722.00	1995.00+18.00 % GST	199800.00	चार माह	बी श्रेणी
22.	वार्ड नं० 30 के अंतर्गत पुष्पेन्द्र मिश्रा से दमरू कुशवाहा होते हुए शीमा कुशवाहा के मकान तक एवं सुनील कुशवाहा के मकान से नत्थू कुशवाहा के बाड़े तक नाली पुलिया एवं एपैक्स सड़क निर्माण कार्य।	2738246.00	2740.00+18.00 % GST	273900.00	चार माह	ऐ श्रेणी
23.	वार्ड नं० 31 लहरगिर्द के अन्तर्गत पानी की टंकी के पास मूलचन्द के मकान से रामदास के मकान होते हुए आभा विलनिक एवं एम एम सिंह सेंगर के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2801007.00	2805.00+18.00 % GST	280200.00	चार माह	ऐ श्रेणी
24.	वार्ड नं० 32 पिछोर में खाती बाबा मंदिर से मोहन प्रजापति के मकान तक एवं कमलेश दुवे के मकान से घनश्याम प्रजापति के मकान तक नाली पुलिया एवं एपैक्स मरम्मत का कार्य।	1864734.00	1865.00+18.00 % GST	186500.00	चार माह	बी श्रेणी
25.	वार्ड नं० 39 के अंतर्गत गुलाम गौस खाँ के पीछे महेन्द्र कुशवाहा के मकान से मनीराम के मकान तक एवं भगवत सेन से विनोद कुशवाहा के मकान तक एवं सुरेन्द्र कुशवाहा के मकान से क्रान्ति वर्मा के मकान तक नाली पुलिया एवं एपैक्स सड़क निर्माण कार्य।	2424854.00	2425.00+18.00 % GST	242500.00	चार माह	ऐ श्रेणी
26.	वार्ड नं० 55 सिविल लाइन के अन्तर्गत काली जी मन्दिर सुभास सोनी से गौरव मित्तल एवं खाली प्लाट तक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	1424168.00	1425.00+18.00 % GST	142500.00	तीन माह	बी श्रेणी

नोट—

1. निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
2. कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झॉसी की वेबसाइट www.jnnjhansi.com में देखी जा सकती है।
3. निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेंडर में पंजीकृत होना है।
4. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
5. ई-टेंडरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैन्युअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झॉसी में निहित होगा।
6. कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
7. अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
8. कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

9. प्रत्येक निविदादाता रु0 100/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी सूचनाएं सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
11. डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
12. कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
13. शासनादेश सं0 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी। (प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्योरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्योरिटी जमा कराया जाये।)
14. जी0एस0टी0 के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
15. कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी। जांच रिपोर्ट में यदि कोई मानक के विपरीत पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्य को तोड़कर पुनः ठेकेदार द्वारा हर्ज-खर्च पर ठीक किया जाना अनिवार्य होगा तथा इस कार्य में कोई अतिरिक्त भुगतान नगर निगम,झॉंसी द्वारा नहीं किया जायेगा।
16. शासनादेश सं0 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झॉंसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
17. निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
18. ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
19. ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर प्रश्नगत् कार्य की निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त,नगर निगम,झॉंसी में निहित होगा।
20. निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है, निर्धारित 90 दिनों से अधिक दिनों की बोली वैधता प्रस्तुत करने वाली फर्मों की बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।
21. किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्ति राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।
22. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानदंड से सम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेवसाइट <https://etender.up.nic.in> से लोड किया जा सकता है।
23. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
24. शासनादेश सं0 24वी0आईपी0(1)/नौ-5-2017-120बजट/2013 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 24.08.2017 के क्रम में निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी,परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी।
25. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
26. निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय निविदादाता द्वारा श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
27. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे प्रथम न्यूनतम निविदादाता द्वारा क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
28. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
29. कार्य के साथ निर्गत कार्यादेश जारी करने के बाद ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संबन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
30. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं0 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
31. निविदादाता के पंजीकृत मोबाईल नम्बर परएस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, निविदादाता द्वारा प्राप्त किए गए मान्य लिए जाएंगे।
32. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
33. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी निविदादाता को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोक्ता निविदादाता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से संबन्धित नवीनतम जानकारी के लिए बेवसाइट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
34. ठेकेदार/निविदादाता को निर्माण के समय यातयात के आवागमन को बिना किसी अवरोध के बनाये रखने हेतु पर्याप्त सुविधा/व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
35. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झॉंसी में निहित होगा।

36. निविदादाता को निविदा डबल बिड सिस्टम के आधार पर (तकनीकी अथवा वित्तीय) पृथक-पृथक देना अनिवार्य होगा। (क्रम सं0 01 से 14 हेतु)
37. मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्माण कार्य स्थल पर निर्माण कर्ता सामग्री को ग्रीन कवर से ढककर एवं पानी का छिड़काव करते हुए कार्य करना अनिवार्य होगा जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो। अन्यथा कि स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।
38. निविदादाता को शासन/निदेशालय/नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
39. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना होगा।
40. टेक्नीकल बिड के साथ यथा आवश्यक उपकरण की उपलब्धता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
41. प्रकाशित निविदा में उल्लेखित कार्यों में यदि विद्युतीकरण का कार्य सम्मिलित हो तो निविदादाता के पास विद्युतीकरण कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक वैद्य विद्युत निदेशालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण/ए- श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र लाइसेन्स होना अनिवार्य है।
42. सर्वनिम्न निविदादाता को कार्यालय से स्वीकृति पत्र निर्गत होने के उपरान्त उपरोक्त कार्य को नियत तिथि तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा विभाग द्वारा अन्तिम नोटिस जारी कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
43. पी0डब्लू0डी0 के **Model Bidding Document for construction of roads** के सेक्शन-2 के 15.6 में यह उल्लेख किया गया है कि **"if the bidder withdraws the bid after bid opening during the period of bid validity, the Earnest money may be forfeit."** के अनुसार ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
44. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक संख्या TC/314/8/DLB/2020 दिनांक 01.01.2021 के अनुसार **"Bids from Joint Venture are not Allowed"** का प्राविधान है। अतः Joint Venture के रूप में प्रतिभाग करने वाली फर्मों की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

तकनीकी बिड हेतु अनिवार्य अभिलेख :- निविदा क्रम सं0-01 से 14 पर अंकित कार्य द्वि-निविदा पद्धति से कराये जाने हैं।

1. विगत पांच वर्षों का औसत टर्नओवर जो आंगणन राशि के 30 प्रतिशत से अधिक का हो, का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
2. ठेकेदार द्वारा विगत 07 वर्षों में कार्य की धनराशि का 80 प्रतिशत मूल्य के एक अथवा 50 प्रतिशत मूल्य के दो कार्य अथवा 40 प्रतिशत मूल्य के तीन समान प्रकृति के कार्यों को पूर्ण किये जाने सम्बन्धी, अधिशासी अभियन्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. टेक्नीकल बिड के साथ नगर निगम झांसी में उक्त फर्म के नाम कोई भी कार्य लम्बे समय से लम्बित/अनारम्भ होने का प्रमाण-पत्र(मा0 न्यायालय विवाद के कार्यों को छोड़कर) संलग्न करना होगा।
4. टेक्नीकल बिड के साथ तकनीकी स्टाफ से सम्बन्धित सूचना (एक सिविल डिग्री धारक एवं दो सिविल डिप्लोमा धारक) का विवरण सहित (शपथ पत्र सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सिविल कार्यों के टर्न ओवर के आधार पर बिड कैपेसिटी निर्धारित प्रारूप पर संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
6. समस्त **Ongoing works** से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा के समय जमानत धनराशि (Earnest Money) को शासनादेश सं0 08/2017/836/23-7-17-176(सा0)/06 दिनांक 08.06.2017 के अनुसार निविदा के समय जमा करायी जायेगी।
8. निविदा क्रमांक सं0 14 पर अंकित कार्य में मूर्तिकला एवं मित्ति चित्र का कार्य किये जाने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण 'ए' श्रेणी का प्रमाण-पत्र (लाइसेन्स) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 965/जनकार्य वि0/न0नि0/2026-27

दिनांक :- 17/07/2026

प्रतिलिपि :-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक अमर उजाला/दैनिक स्वदेश, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
3. पी0ए0, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
4. आई0टी0एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता
झाँसी नगर निगम, झाँसी।